



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 13, 2010/आश्विन 21, 1932

No. 259]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 13, 2010/ASVINA 21, 1932

केन्द्रीय विश्वविद्यालय झारखण्ड, ब्राम्बे

अधिसूचना

रांची, 8 सितम्बर, 2010

परिनियम 15(1) में संशोधन

क्रम सं.	वर्तमान परिनियम	संशोधित परिनियम
(1)	(2)	(3)
1.	15(1) विश्वविद्यालय परिनियम में उल्लिखित अध्ययन स्कूलों की ही स्थापना की जाएगी।	15(1) विश्वविद्यालय परिनियम में उल्लिखित अध्ययन स्कूलों की ही स्थापना की जाएगी।  15(1)(क) परिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय प्रारम्भिक चरण में अधोलिखित अध्ययन स्कूलों की स्थापना करेगा : 1. जन संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी स्कूल 2. प्रबंधन विज्ञान स्कूल 3. प्राकृतिक विज्ञान स्कूल 4. भाषा स्कूल 5. अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी स्कूल 6. सांस्कृतिक अध्ययन स्कूल 7. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन स्कूल 8. खेल एवं खेल शिक्षा स्कूल श्याम नारायण, कुलसचिव

[विज्ञापन III/4/340-जे/10/असा.]

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND, BRAMBE  
NOTIFICATION

Ranchi, the 8th September, 2010

AMENDMENT OF STATUTES 15(1)

S.No.	Existing	Amended
(1)	(2)	(3)
1.	15(1) The University shall have such School of Studies as may be specified in the Statutes.	15(1) The University shall have such School of Studies as may be specified in the Statutes.  15(1)(a) The following Schools of Studies may be initially established : 1. School of Mass Communication and Media Technologies 2. School of Management Sciences 3. School of Natural Sciences 4. School of Languages 5. School of Engineering and Technology 6. School of Cultural Studies 7. School of Natural Resources Management 8. School of Sports and Sports Education.

SHYAM NARAIN, Registrar  
[ADVT III/4/340-J/10/Exty.]

## अधिसूचना

रांची, 8 सितम्बर, 2010

## परिनियम ( 11 ) में संशोधन

क्रम सं.	वर्तमान परिनियम	संशोधित परिनियम
(1)	(2)	(3)
1.	11. कार्यकारिणी परिषद् की बैठक के लिए निर्धारित कोरम में परिषद् के न्यूनतम सात सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है।	11. कार्यकारिणी परिषद् की बैठक के लिए निर्धारित कोरम में परिषद् के न्यूनतम सात सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। बशर्ते संक्रमण अवधि हेतु अधिनियम खण्ड 44 के अन्तर्गत परिषद् के न्यूनतम पाँच सदस्यों की उपस्थिति कोरम के लिए मान्य है।

श्याम नारायण, कुलसचिव  
[विज्ञापन III/4/340-जे/10/जे/असा.]

## NOTIFICATION

Ranchi, the 8th September, 2010

## AMENDMENT OF STATUTES 11

S.No.	Existing	Amended
(1)	(2)	(3)
1.	11. Seven Members of the Executive Council shall form a quorum for a meeting of the Executive Council.	11. Seven Members of the Executive Council shall form a quorum for a meeting of the Executive Council. Provided that for a meeting of the First Executive Council constituted under the transitional provision of Section 44 of the Act; five members shall form a quorum".

SHYAM NARAIN, Registrar

[ADVT III/4/340-J/10/Exty.]